संख्या :– 38 (64)यूएसआरएलएम–2013

प्रेषक,

एच0बी0थपलियाल
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
यू0एस0आर0एल0एम0
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

1. **समस्त मुख्य विकास अधिकारी/**
   जिला कार्यक्रम समन्वयक NRLM
   उत्तराखण्ड।
2. **समस्त जिला मिशन प्रबन्धक NRLM/**
   सहायक परियोजना निदेशक,
   उत्तराखण्ड।

ग्राम्य विकास विभाग (यूएसआरएलएम) **देहरादूनः** **दिनांक 23 अप्रैल, 2014**

विषय :– **सघन एवं असघन विकास खण्ड़ों में गठित स्वयं सहायता समूहों का श्रेणीकरण (Grading) किये जाने विषयक।**

महोदय,

आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा हैं इन समूहों के द्वारा जहां अपनी बचतें कर आर्थिकी के सुदृढ़ीकरण का प्रयास किये जा रहे हैं वहीं योजनान्तर्गत इन्हें परिक्रामी निधि (Revolving fund) तथा सामुदायिक निवेश निधि (Community Investment fund) जिसे CIF के रूप में भी जाना जाता है, समय–समय पर दी जानी है।

इन निधियों को देने से पूर्व यह ज्ञात कर लेना आवश्यक होगा कि समूह (SHG) इन निधियों के परिचालन हेतु सक्षम हो गया है अथवा नहीं, इस हेतु समूहों की ग्रेडिंग की जानी आवश्यक है। ग्रेडिंग दिशा निर्देश संलग्न संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि नव गठित एवं पूर्व में गठित समूहों की समय–समय पर मानकों के अनुरूप श्रेणीकरण (Grading) कर ली जाय तथा सफल समूहों को तत्सम्बन्धी लाभ (RF अथवा CF) उपलब्ध करा दिया जाय।

संलग्न :– यथोपरि।

भवदीय,

23/04/14

(एच0बी0थपलियाल)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

D/Letterpm.(103)

स्वंय सहायता समूहों का श्रेणीकरण (ग्रेडिंग)

स्वंय सहायता समूहों के क्षमता/निष्पादन/स्वास्थय के मूल्यांकन हेतु ग्रेडिंग एक सफल प्रक्रिया है:–

सघन विकासखण्ड में स्वंय सहायता समूहों की ग्रेडिंगः–

ग्रेडिंग का प्रकार	ग्रेडिंग का उद्देश्य	ग्रेडिंग हेतु सांकेतिक समयावधि	ग्रेडिंग कौन करेगा ?
प्रथम ग्रेडिंग	स्वंय सहायता समूह द्वारा परिक्रामी निधि (रिवोल्विंग फण्ड) /सी0आई0एफ0 प्राप्त करने हेतु की तत्परता/पात्रता के आधार पर पहचान	तीसरे–चौथे माह अथवा स्वंय सहायता समूह के गठन की तिथि से माइक्रो प्लान जमा करने अथवा प्राथमिकता के आधार पर	वी0ओ0/सी0आर0पी0/एस0आर0एल0एम0 के स्टाफ के सहयोग द्वारा सामुदायिक प्रतिनिधि के माध्यम से
द्वितीय ग्रेडिंग	स्वंय सहायता समूह के बैंक ऋण प्राप्त करने की तत्परता/पात्रता के आधार पर पहचान	छः माह अथवा स्वंय सहायता समूह के गठन की तिथि से बैंक लिंकेज हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित करने से पूर्व	बैंक शाखा अधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि (विशेषतः परियोजना से), वी0ओ0/सी0आर0पी0 संयुक्त रूप से
तृतीय ग्रेडिंग	स्वंय सहायता समूह के	स्वंय सहायता समूह के गठन की तिथि से नवें माह तक	वी0ओ0/सी0आर0पी0/एस0आर0एल0एम0 के स्टाफ के सहयोग द्वारा सामुदायिक प्रतिनिधि के माध्यम से

नोटः– स्वंय सहायता समूह की मासिक बैठक की रिपोर्ट के आधार पर वी0ओ0 द्वारा सदस्यों का मूल्यांकन किया जायेगा।

असघन विकासखण्ड में स्वंय सहायता समूहों की ग्रेडिंगः–

ग्रेडिंग का प्रकार	ग्रेडिंग का उद्देश्य	ग्रेडिंग हेतु सांकेतिक समयावधि	ग्रेडिंग कौन करेगा ?
प्रथम ग्रेडिंग	स्वंय सहायता समूह द्वारा परिक्रामी निधि (रिवोल्विंग फण्ड) /सी0आई0एफ0 प्राप्त करने हेतु की तत्परता/पात्रता के आधार पर पहचान	स्वंय सहायता समूह के गठन की तिथि से तृतीय माह तक	एस0जी0एस0वाई0 हेतु विकासखण्ड स्तरीय नोडल अधिकारी
द्वितीय	स्वंय सहायता समूह के बैंक	स्वंय सहायता समूह	बैंक शाखा अधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि

ग्रेडिंग	ऋण प्राप्त करने की तत्परता/पात्रता के आधार पर पहचान	के गठन की तिथि से छः माह तक	(विशेषतः परियोजना से),

ग्रेडिंग की प्रक्रिया किस प्रकार की जायेगी ?

पंचसूत्र प्रक्रिया के आधार पर तैयार की गयी ग्रेडिंग शीट जिसमें सांकेतिक प्रदर्शन सम्मिलित के अनुसार ग्रेडिंग अभ्यास किया जायेगा। 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले स्वंय सहायता समूह को ग्रेडिंग हेतु पात्र माना जायेगा।

सूक्ष्म योजना की तैयारी

सूक्ष्म नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें सदस्यों को संसाधनों को पहचानने, समझने तथा उनके मूल्यांकन करने, चुनौतियों जिनका वे सामना कर रहे हैं उनका मूल्यांकन करने, वलनरेब्लिटीज़ पर काबू पाने के लिये भविष्य की योजना बनाने के लिये आवश्यकताओं का चिन्हीकरण करते हुये उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं युगपितीकरण को बढ़ावा देना है।

उद्देश्यः–

1. स्वंय सहायता समूह के सदस्यों के क्षमता विकास एवं जीवन स्तर में सुधार हेतु आत्म विश्वास की भावना पैदा करना।
2. संसाधनों (व्यक्तिगत तथा आम) को समझने एवं पहिचानने हेतु स्वंय सहायता समूह के सदस्यों सुविधा देना।
3. सामना की जा रही चुनौतियों के चिन्हीकरण तथा उनके कारणों के विश्लेषण हेतु स्वयं सहायता समूहों को सहूलियत देना
4. अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक लक्ष्य तैयार कर योजनाबद्व तरीके से स्वंय सहायता समूह के सदस्यों को सक्षम बनाना तथा निर्धारित लक्ष्यों पर उनकी स्वामित्व की भावना पैदा करना।
5. समर्थन स्रोतों की पहिचान तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ण्स0एच0जी0 सदस्य सूची की आवश्यकता/ समर्थन।
6. सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी तथा विकास कार्यक्रमों के साथ लिंकेज हेतु स्वंय सहायता समूह के सदस्यों को सक्षम बनाना।
7. सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के रास्ते पर प्रगति करने के लिये स्वंय सहायता समूह के सदस्यों को प्रेरित करना।